पंचायती राज संस्थाएं 60 करोड़ से अधिक की राशि से उपलब्ध करायेगी मास्क, सेनेटाइजर और ग्लव्ज -उप मुख्यमंत्री 11 हजार ग्राम पंचायतों को 50 हजार रुपये, 295 पंचायत समितियों को एक लाख रुपये तथा 33 जिला परिषदें को 1.5 लाख रुपये तक की स्वीकृति जारी करने की अनुमत

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
RK-30-3-2020-15.docx (http://103.203.138.54/news/205569/document/RK-30-3-2020-15.docx)

DESCRIPTION

पंचायती राज संस्थाएं 60 करोड़ से अधिक की राशि से उपलब्ध
करायेगी मास्क, सेनेटाइजर और ग्लव्ज
-उप मुख्यमंत्री
11 हजार ग्राम पंचायतों को 50 हजार रुपये, 295 पंचायत समितियों को एक लाख रुपये तथा 33 जिला परिषदें को 1.5 लाख रुपये तक की स्वीकृति जारी करने की अनुमत

जयपुर, 30 मार्च। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को राशि आवंटित की है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को गांवों में प्रभावी तरीके से रोकने हेतु सुरक्षा किट व दवा छिड़काव पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाएं इस राशि से स्वच्छता सामग्री यथा-सेनेटाइजर, मास्क, हाथ के दस्ताने आदि तथा कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक दवाओं यथा-सोडियम हाइपो क्लोराइट का छिड़काव एवं वितरण की व्यवस्था करवा सकेगी।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से लड़ने में सहयोग प्रदान कर रहे कार्मिकों एवं जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश दिये हैं।
श्री पायलट ने बताया कि ग्राम पंचायत को अधिकतम 50 हजार रूपये, विकास अधिकारी, पंचायत समिति को अधिकतम 1 लाख रूपये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को अधिकतम 1.5 लाख रुपये की स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि यह राशि उक्त अधिकारी व संस्थाएं राज्य वित्त आयोग पंचम के अनुदान मद से व्यय कर सकेंगे।